



रूपल यादव

दहेज हत्याओं से पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

असिसर्टेंट प्रोफेसर- समाजशास्त्र विभाग, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोयडा (उ0प्र0) भारत

Received-19.12.2022, Revised-25.12.2022, Accepted-29.12.2022 E-mail: aaryavart2013@gmail.com

सारांश: विवाह और परिवार दोनों संस्थाएं परस्पर निबद्ध हैं। अतः दहेज हत्याओं के दोनों संस्थाओं पर दुष्प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। पितृ कुल की मानसिकता यह है कि कन्या पराया धन है अर्थात् विवाहोपरान्त वह दूसरे घर की हो जाती है। किन्तु वास्तविकता यह है कि विवाह हो जाने के पश्चात् उसके दो परिवार: (1) ससुराल वाला परिवार (2) मायके वाला परिवार हो जाते हैं। और दोनों ही परिवारों पर दहेज हत्याओं के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। पति/ससुराली परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के अन्तर्गत: परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल होना, पारिवारिक तनाव व विघटन, आर्थिक संकट, परिवार/परिजनो के प्रति अविश्वास, समुदाय के लोगों द्वारा ऐसे परिवार से सामाजिक दूरी बना लेना, सामाजिक सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, सामाजिक बदनामी/सामाजिक निंदा का पात्र बन जाना, ऐसे परिवार के लड़के-लड़कियों के विवाह सम्बन्ध होने में समस्याएं आना, परिवार के प्रति सामुदायिक व जातिय स्तरों पर प्रतिकूल चर्चा-परिचर्चाएं व टिप्पणियाँ, परिवार पर धब्बा लग जाना आदि; तथा मायके परिवार पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के अन्तर्गत: आर्थिक संकट आ जाना, 'धोबी का कुत्ता न घर का; न घाट का' जैसी स्थिति हो जाना आदि परन्तु दोनों परिवारों पर सबसे बड़ा पड़ने वाला दुष्प्रभाव 'नाता-रिश्ता खत्म हो जाता है। परन्तु यदि किसी/किन्हीं कारणों व परिस्थितिवश पुनः सम्बन्ध स्थापित हो भी जाता है तो भी रिश्ते गौंठ गठीले हो जाते हैं; अर्थात् मधुर रिश्ते नहीं बनते।

कुंजीशुत शब्द- विवाह, परिवार, दुष्प्रभाव, मानसिकता, विवाहोपरान्त, वास्तविकता, धूमिल, पारिवारिक तनाव, विघटन।

'विवाह' संस्था पर प्रभावों के अन्तर्गत (1) पुनर्विवाहों के प्रोत्साहन (2) बेमेल विवाहों में वृद्धि प्रमुख हैं एवं; समाज के स्तर पर दहेज हत्याओं से पड़ने वाले दुष्प्रभावों में किशोर-किशोरियों की मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना व सामाजिक तनाव तथा 'दहेज निशेध अधिनियमों' की भूमिकाओं व सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक ही है; वही न्यायालयीन कार्य प्रणाली व पुलिस की कार्य कुशलता और सत्यनिष्ठा पर सन्देह प्रकट होने लगते हैं।

अनुसंधित्वु ने सबसे पहले दहेज हत्या वाले सभी 300 निदर्श प्रकरणों (परिवारों) पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की। सभी निदर्शितों से पृथक तौर पर पूछा गया कि 'परिवार संस्था पर दहेज हत्याओं का क्या प्रभाव पड़ता है?' सर्वेक्षण से प्राप्त सत्यनिष्ठा पर सन्देह प्रकट होने लगते हैं।

तालिका नं. 1: परिवार संस्था पर दहेज हत्याओं का क्या प्रभाव पड़ता है?

क्रम	निदर्शितों के प्रत्युत्तर/अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं	298	99.33
2.	कोई प्रभाव नहीं पड़ता	-	00.00
3.	उदासीन	02	00.67
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका दहेज हत्याओं से दोनों परिवारों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के सन्दर्भ में कुल 300 निदर्शितों में से 298(99.33 प्रतिशत) निदर्शितों ने स्वीकार किया कि दहेज हत्या से दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं जबकि मात्र 2(0.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने उदासीन अभिमत प्रकट किए। कोई प्रभाव न पड़ना बताने वाला एक भी निदर्शित नहीं पाया गया। निष्कर्ष है कि "दहेज हत्याओं से वर तथा कन्या दोनों पक्षों के परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव ही नहीं पड़ता अपितु बर्बाद हो जाते हैं।"

तालिका नं. 2: दहेज हत्याओं से परिवार आर्थिक दृष्टि से विपन्न हो रहे हैं?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	275	91.67
2.	नहीं	-	00.00
3.	उदासीन	25	08.33
	योग	300	100.00



प्रसंगाधीन तालिका नं 2 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि कुले 300 निदर्शितों में से 275(91.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने दहेज हत्याओं से दोनों पक्षों के परिवारों के आर्थिक दृष्टि से विपन्न होने के पक्ष में अभिमत व्यक्त किए हैं। मात्र 25(8.33 प्रतिशत) निदर्शितों ने इस सन्दर्भ में उदासीन अभिमत व्यक्त किए हैं कोई भी निदर्शित अनुत्तरित तथा नकारात्मक अभिमत दर्शाने वाला नहीं पाया गया। इन प्राप्त तथ्यों के प्रकाश में निष्कर्ष है कि "दहेज हत्याओं से दोनों पक्षों के परिवार आर्थिक विपन्नता के शिकार हो रहे हैं।"

तालिका नं. 3: क्या दहेज हत्यायें परिवारों को ऋणी बना रही हैं?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	237	79.00
2.	नहीं	-	00.00
3.	उदासीन	62	20.67
4.	अनुत्तरित	01	00.33
	योग	300	100.00

प्रसंगाधीन तालिका नं. 3 के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल 300 निदर्शितों में से 237(79 प्रतिशत) निदर्शितों ने यह स्वीकार किया कि दहेज हत्याओं के कारण दोनों पक्षों के परिवार ऋणी हो रहे हैं जिसका प्रभाव परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं पर भी पड़ रहा है, मात्र 1(0.33 प्रतिशत) निदर्शित इस प्रश्न पर अनुत्तरित रहा। निष्कर्ष है कि 'दहेज हत्याओं से दोनों पक्षों के परिवार ऋणी हो रहे हैं जिससे निर्धनता में वृद्धि भी हो रही है। साथ ही दोनों परिवारों की सामाजिक-आर्थिक दशाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।'

तालिका नं. 4: क्या दहेज के प्रकरणों में पुलिस तथा वकील दोनों पक्षों के परिवारों का आर्थिक शोषण करते हैं?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	240	80.00
2.	नहीं	-	00.00
3.	उदासीन	51	17.00
4.	अनुत्तरित	09	03.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित कुल 300 निदर्शितों में से 240(80 प्रतिशत) निदर्शितों ने यह स्वीकार किया कि दहेज हत्याओं के प्रकरणों से पुलिस तथा वकीलों के 'बारे-न्यारे' हो जाते हैं, उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले 51(17 प्रतिशत) निदर्शित पाए गए हैं, वहीं 9(3 प्रतिशत) निदर्शितों ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया है। नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाला एक भी निदर्शित नहीं पाया गया है। इन तथ्यों के आलोक में निष्कर्ष है कि "दहेज हत्याओं के प्रकरणों में पुलिस तथा वकील; वर तता कन्या दोनों पक्षों का खूब आर्थिक शोषण करते हैं।" निम्न तालिका नं. 7(5) परिवार तथा विवाह संस्थाओं पर दहेज हत्याओं से पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. 5: दहेज हत्याओं से परिवार तथा विवाह संस्थाओं पर प्रभाव

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	दोनों संस्थायें दुष्प्रभावित हो रही हैं	252	84.00
2.	कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा	-	00.00
3.	उदासीन	38	12.67
4.	अनुत्तरित	10	03.33
	योग	300	100.00



प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए कुल 300 निदर्शितों में से 252(84 प्रतिशत) निदर्शितों ने स्वीकार किया है कि दहेज हत्याएं होने से परिवार तथा विवाह दोनों ही संस्थाएं दुष्प्रभावित हो रही हैं। जबकि 38(2.67 प्रतिशत) निदर्शित उदासीन उत्तर प्रदान करने वाले तथा 10(3.33 प्रतिशत) निदर्शित अनुत्तरित पाए गए हैं। निष्कर्षतः दहेज हत्याओं की घटनाओं की बजह से परिवार तथा विवाह दोनों ही संस्थाएं नष्ट तथा विकृत हो रही हैं।

सभी 300 निदर्शितों से यह पूछे जाने पर कि- "क्या दहेज हत्याओं से पुनर्विवाहों तथा बेमेल विवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है?" अध्ययन से प्राप्त उत्तरों पर निम्न तालिका नं. 7(6) संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. 6: क्या दहेज हत्याओं से पुनर्विवाहों एवं बेमेल विवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	273	91.00
2.	नहीं	-	00.00
3.	उदासीन	18	06.00
4.	अनुत्तरित	09	03.00
	योग	300	100.00

प्रसंगाधीन तालिका नं. 6 के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि अध्ययन किए गए कुल 300 निदर्शितों में से 273(91 प्रतिशत) निदर्शितों ने स्वीकार किया है कि दहेज हत्याओं से पुनर्विवाहों तथा बेमेल विवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है। 18(6 प्रतिशत) निदर्शितों ने इस प्रश्न की उदासीन होकर स्वीकारोक्तियों की हैं तथा मात्र 9(3 प्रतिशत) निदर्शित इस प्रश्न के उत्तरों पर अनुत्तरित रहे हैं। नकारात्मक उत्तर प्रदान करने वाला एक भी निदर्शित नहीं पाया गया है। प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण से सुस्पष्ट है कि "दहेज हत्याओं से पुनर्विवाहों एवं कुमेल विवाहों को प्रोत्साहन मिल रहा है।"

सभी 300 निदर्शितों से पृथक साक्षात्कार करते समय पुनः पूछा गया कि 'क्या आप इस बात से सहमत हैं कि दहेज हत्याओं वाले परिवारों की स्थिति 'घोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का' जैसी हो जाती है?"

तालिका नं. 7: क्या दहेज हत्याओं से मायके परिवारों की स्थिति: 'घोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का' जैसी हो रही है?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	264	88.00
2.	नहीं	-	00.00
3.	उदासीन	30	10.00
4.	अनुत्तरित	06	02.00
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन किए गए कुल 300 निदर्शितों में से 264(88 प्रतिशत) निदर्शितों ने यह स्वीकार किया है कि विवाहित बेटी की हत्या हो जाने के बाद कन्या पक्ष के परिवार की स्थिति 'घोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का' जैसी हो जाती है। क्योंकि दहेज हत्या के प्रकरणों में बेटी, दहेज तथा सम्बन्ध (रिस्ता) तीनों ही खत्म हो जाते हैं, ऐसे माता-पिता किसी भी तरफ के नहीं रहते। मात्र 30(10 प्रतिशत) ऐसे भी पाए गए हैं जिन्होंने प्रश्न के प्रत्युत्तरों पर अनुत्तरित रहे हैं। इन आनुभविक तथ्यों के विश्लेषण के प्रकाश में निश्कर्ष यह है कि- "दहेज हत्या वाले परिवारों की स्थिति 'घोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का' जैसी हो जाती है अर्थात् वे कहीं के नहीं रहते।" बेटी तो चली ही जाती है, धन दौलत भी नहीं रहती। पुनः पूरक प्रश्न पूछे जाने पर कि- "क्या दहेज हत्या करने वाले परिवारों की लड़के-लड़कियों की शादी करने में समस्याएं आती हैं?" अध्ययन से प्राप्त प्राथमिक तथ्यों पर निम्न तालिका नं. 7(8) संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. 8: क्या दहेज हत्या करने वाले परिवारों के लड़के-लड़कियों के विवाह करने में कठिनाईयाँ आती हैं?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	हाँ	195	65.00
2.	नहीं	50	16.67
3.	उदासीन	55	18.33
	योग	300	100.00



प्राथमिक तालिका के प्राथमिक आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल 300 निदर्शितों में से 195(65 प्रतिशत) निदर्शितों ने उक्त प्रश्न का 'हाँ' कहकर स्वीकारोक्तियाँ की हैं जबकि 50(16.67 प्रतिशत) निदर्शित नकारात्मक उत्तरों वाले भी पाए गए हैं, जबकि 55(18.33 प्रतिशत) निदर्शितों ने उदासीन रूप में उत्तर दिए हैं। इन आनुभविक तथ्यों के प्रकाश में सुस्पष्ट है कि: "दहेज हत्या करने वाले परिवारों के लड़के-लड़कियों के विवाह करने में कठिनाईयाँ आती हैं।" उनकी छवि खराब हो जाने से भौति-भौति की 'क्वैरी' (पूछताछ) करते हैं। पुनः सभी 300 निदर्शितों से पृथक-पृथक तौर पर यह पूछे जाने पर कि "दहेज हत्याओं से महिलाओं की मानसिकता पर कैसा प्रभाव पड़ा है?" अध्ययन से संकलित क्षेत्रीय तथा प्राथमिक आँकड़ों पर निम्न तालिका नं. 7(9) संक्षिप्त प्रकाश डालती है-

तालिका नं. 9: दहेज हत्याओं से महिलाओं की मानसिकता पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

क्रम	निदर्शितों के प्रत्युत्तर	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	सकारात्मक	-	00.00
2.	नकारात्मक	270	90.00
3.	उदासीन	11	06.33
4.	'कह नहीं सकते'	19	06.33
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका के आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल 300 निदर्शितों में से 270(90 प्रतिशत) निदर्शितों ने यह स्वीकार किया है कि महिलाओं की स्थिति पर दहेज हत्याओं से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है 11(3.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने इस प्रसंग में उदासीन अभिमत प्रकट किए हैं; परन्तु 19(6.33 प्रतिशत) निदर्शित ऐसे भी पाए गए जिन्होंने इस सन्दर्भ में कहा 'कह नहीं सकते'। दहेज हत्याओं से महिलाओं की मानसिकता पर 'सकारात्मक प्रभाव पड़ना' बताने वाला एक भी उत्तरदाता नहीं पाया गया है। निश्कर्षतः दहेज हत्याओं का महिलाओं की मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि दहेज हत्याओं से महिलाओं की मानसिकता भयक्रान्त (दहशत) होने की बजह से दुष्प्रभावित होती है। वे दम्पति के प्रति भौति-भौति की चर्चाएं भी करती हैं। अर्थात् तालिका नं 7(10) 'दहेज हत्याओं से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव' प्रदर्शित करती है-


तालिका नं. 10: दहेज हत्याओं से समाज पर कैसा प्रभाव पड़ता है?

क्रम	निदर्शितों के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1.	समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ जनित होती हैं	275	91.67
2.	कुछ नहीं होता	20	06.67
3.	कुछ कह नहीं सकते	05	01.66
	योग	300	100.00

प्रस्तुत तालिका नं. 7(10) के प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित कुल 300 निदर्शितों में से 275(91.67 प्रतिशत) निदर्शितों ने यह स्वीकार किया है कि दहेज हत्याओं से समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ पैदा होती हैं, जबकि 20(6.67 प्रतिशत) निदर्शितों के अनुसार दहेज हत्याओं से समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; और मात्र 5(1.66 प्रतिशत) निदर्शितों ने कहा कि वे इस सम्बन्ध में 'कुछ नहीं कह सकते'। सुस्पष्ट है कि दहेज हत्याओं से समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ जनित हो जाती हैं अर्थात् सामाहिक विघटन की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं।


निष्कर्ष- शोधार्थिनी ने प्रस्तुत अध्याय के प्रसंग में; सभी 300 निदर्शितों से दहेज हत्याओं से पड़ने वाले विभिन्न दुष्प्रभावों के सन्दर्भ में अभिमत ज्ञात किए हैं; प्राप्त आनुभविक निष्कर्ष निम्नवत् रहे हैं:

परिवार संस्था पर प्रभाव






विवाह संस्था पर प्रभाव



समाज, दहेज निषेध कानून व अन्य संस्थाओं पर प्रभाव



संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. कासेरिया, शान्ति के0 (2010)– कायस्थ समुदाय में विवाह एवं दहेज, कचहरी रोड़ इलाहाबाद गौतम धर्मसूत्र, अध्याय : 3 सूत्र-4.
2. सिंह, एस.डी. एण्ड यादव यू0पी0 (2006)– दहेज उत्पीड़न : एक अध्ययन, 'सामाजिक सहयोग' राष्ट्रीय त्रैमासिक शोध पत्रिका, श्रीकृष्ण शोध संस्थान, ऋषिनगर, उज्जैन (म0प्र0), वर्ष 15, अंक 28.
3. हरकावत, पी.के. (2011)– दहेज रहित विवाह, (प्रकाशित शोध पत्र) अखिल भारतीय शोध संगोष्ठी; (सौजन्य यू.जी. सी.) जे.एन.यू. दिल्ली।
4. श्रीवास्तव, एस.के. (2017)– दहेज उत्पीड़न: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, अप्रकाशित लघु शोध- प्रबन्ध, आगरा वि0वि0, आगरा।
5. कार्किंड, सुलभा (2018)– दहेज : सामाजिक अधिनियमों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, 'सामाजिक सहयोग' (त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध पत्रिका) ऋषिनगर, उज्जैन (म0प्र0), वर्ष: 3 अंक : 11.
6. गौतम, के.एस. (2019)– व्यवहारिक समाजशास्त्र : समस्याएं तथा सामाजिक विधान, प्रकाशन केन्द्र, अरविन्द मार्ग, (उ0प्र0) लखनऊ।
7. सिंह, एस.डी. एण्ड कुमार ए0 (2020)– दहेज हत्याएं : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण; 'सामाजिक सहयोग' (त्रैमासिक राष्ट्रीय शोध पत्रिका), श्रीकृष्ण शोध संस्थान, ऋषिनगर, उज्जैन (म0प्र0), वर्ष 6, अंक 2.
